

आदेश की
कम सं०
और
तारीख



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह।

(Email id-dccourt.grd@gmail.com)

अधिहरण वाद सं०—04/2024

राज्य-बनाम-दशरथ मोदी धनवार (घोड़थम्बा) थाना कांड सं०-02/23

आदेश पर
की गई
कार्रवाई के
बारे में
टिप्पणी
तिथि सहित

19.04.24

अभिलेख उपस्थापित। पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह के पत्रांक-1593/अप०शा० दिनांक-06.03.2024 के द्वारा धनवार(घोड़थम्बा) थाना कांड सं०-02/23, दिनांक-05.01.2023, धारा-414 भा०द०वि०, 54 Jharkhand Minor Minerals Concession Rules 2004, 13 Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining Transportation & Storage) Rules 2017 & 21 Mines and Minerals (D & R) Act 1957 में अनुसंधानकर्ता द्वारा जप्त माईका के विरुद्ध राज्यसात की कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त के आलोक में अधिहरण वाद सं० 04/2024 राज्य-बनाम-दशरथ मोदी, धनवार(घोड़थम्बा) थाना कांड सं०-02/23) को सुनवाई हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई। अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में संधारित अधिहरण वाद सं० 09/2022 में पारित आदेश के विरुद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(Cr) No. 1212 of 2023 सीता राम महतो एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.2024 की कंडिका-6 जो निम्नवत् है:-

"In view of law declared by the co-ordinate Bench of this Court, the Deputy Commissioner-cum-District Magistrate is not a competent authority to pass the order of confiscation. Accordingly, the order dated 03.11.2023 passed by the Deputy Commissioner-cum-District Magistrate, Giridih in Confiscation Case No. 09 of 2022 is, hereby, quashed and set aside and the matter is remitted back to the learned court below who has taken cognizance, to pass an appropriate order in accordance with law."

उक्त न्यायादेश के आलोक में इस (अधिहरण वाद सं० 04/2024 राज्य-बनाम-दशरथ मोदी, धनवार (घोड़थम्बा) थाना कांड सं०-02/23) वाद को Drop(समाप्त) किया जाता है।

उभय पक्षों को आदेश से अवगत कराया जाय।

५५

लेखापित एवं संशोधित।

19/04/24

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।

सं. 511 / 19/04/24

19/04/24

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।

दिनांक: - 19/04/2024

प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह को उनके पत्रांक-1593/अप0शा0 दिनांक
06.03.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/04/24

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।